[2018] 3 उम. नि. प. 117

अतुल ठाकुर

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य आदि आदि

19 जनवरी, 2018

मुख्य न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 300/304 भाग 2 – आपराधिक मानव वध मृत्यु – अभियुक्त द्वारा मृतक पर चाकू से हमला करके गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त किया जाना – मृत्यु – साक्ष्य से यह साबित होने पर कि घटना मृतक की प्रेरणा पर आयोजित शराब पार्टी में एकत्रित हुए मित्रों के बीच अचानक हुई लड़ाई में, किसी पूर्वचिंतन के बिना घटित होने और अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा आवेश की तीव्रता में, कोई असम्यक् फायदा उठाए बिना या क्रूर रीति में कार्य किए बिना और मृत्यु कारित करने के किसी आशय के बिना कृत्य किए जाने की बात पर विचार करते हुए धारा 300 के अपवाद 4 का अवलंब लेना और धारा 304 भाग 2 के अधीन दोषसिद्ध करते हुए पांच वर्ष के दंडादेश के स्थान पर दस वर्ष का दंडादेश देना उचित होगा ।

अपील के तथ्यों के अनुसार, घटना की तारीख की रात्रि के दौरान इस मामले में मृतक की प्रेरणा पर एक शराब पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें अपीलार्थी और अन्य सह-अभियुक्त सम्मिलित हुए थे जिनकी आपस में मित्रता थी । इस पार्टी के दौरान अपीलार्थी और मृतक के बीच सिगरेट का धुंआ मुंह पर छोड़ने को लेकर झगड़ा हो गया तथा दोनों के बीच हुई हाथापाई में अपीलार्थी ने मृतक पर चाकू से कई वार किए, जिनके परिणामस्वरूप वह गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया । अपीलार्थी और अन्य अभियुक्त मृतक को अस्पताल लेकर आए । पुलिस थाने में दूरभाष पर इसकी सूचना दी गई और अपीलार्थी द्वारा मृतक के पिता को भी दूरभाष पर इस बारे में सूचना दी गई और उसे अस्पताल पहुंचने के लिए कहा । अस्पताल में क्षतिग्रस्त की उसे पहुंची क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई । पुलिस द्वारा अस्पताल में मृतक के पिता का दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन कथन अभिलिखित किया । उसने अपने कथन में यह प्रकट किया कि उसके दो बालक हैं । उसकी पुत्री

पूजा कम्प्यूटर का कोर्स कर रही है और उसका छोटा पुत्र हितेश ठाकुर, आयु 22 वर्ष भी लाखर बाजार से कम्प्यूटर कोर्स कर रहा था । उसने यह कथन किया कि हितेश तारीख 27 जुलाई, 2011 को भोजन करने के पश्चात् घर से अपनी मोटरसाइकिल पर कम्प्यूटर कोर्स करने के लिए गया था । उसने अपनी बहिन पूजा को उसके मोबाइल पर यह सूचित किया था कि वह अपने मित्र अखिलेश के साथ जा रहा है और रात्रि में वापस नहीं आएगा । तारीख 28 जुलाई, 2011 को लगभग 3.00 बजे अपराह्न में अतुल ठाकुर (इस अपील में अपीलार्थी) ने दूरभाष पर उसे सूचित किया कि उसके पुत्र हितेश को इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय अस्पताल, शिमला में लाया गया है क्योंकि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उसे अस्पताल आने के लिए कहा । वह दूरभाष पर प्राप्त सूचना के पश्चात् अस्पताल गया और यह पाया कि उसका पुत्र घायल अवस्था में मृत पड़ा हुआ था । उस समय अपीलार्थी भी वहां पर मौजूद था । कथन अभिलिखित करने के पश्चात् अन्वेषण का कार्य अग्रसर किया गया और चार अभियुक्तों को कथित अपराध के विचारण के लिए भेजा गया । विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का विश्लेषण करने के पश्चात् अन्य तीन अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया किंतु अपीलार्थी को धारा 304, भाग 2 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी पाया और उसे पांच वर्ष के कठोर कारावास और 10,000/- रूपए के जुर्माने का संदाय करने तथा जुर्माने का संदाय करने में व्यतिक्रम करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगने का दंडादेश दिया । अपीलार्थी ने उक्त विनिश्चय के विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की । शिकायतकर्ता ने भी तीन अभियुक्तों की दोषमुक्ति के विरुद्ध तथा अपीलार्थी के दंडादेश में वृद्धि करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की । उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की अपराध में अंतर्ग्रस्तता से संबंधित तथ्य के निष्कर्ष को कायम रखा । तथापि, उच्च न्यायालय ने अपराध की प्रकृति के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष को उलट दिया । उसने यह निष्कर्ष निकाला कि मामले के संपूर्ण परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी हितेश ठाकुर की हत्या करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी है, न कि धारा 304 भाग 2 के अधीन । साथ ही साथ, उच्च न्यायालय ने उन अन्य अभियुक्तों के पक्ष में किए गए दोषमुक्ति के आदेश की अभिपुष्टि की । मूल अभियुक्त सं. 1/अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय के पूर्वोल्लिखित विनिश्चय को चुनौती देते हुए और राज्य द्वारा दंडादेश में वृद्धि करने के लिए उच्चतम न्यायालय में अपीलें फाइल की गईं । उच्चतम न्यायालय

द्वारा अपीलों का निपटारा करते हुए,

अभिनिर्धारित – विचारण न्यायालय ने अपराध कारित करने में अपीलार्थी की सहापराधिता के बारे में निष्कर्ष अभिलिखित करने के लिए साक्ष्य का न्यायसंगत रूप से विश्लेषण किया है । उच्च न्यायालय द्वारा सुसंगत साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने के पश्चात् इसकी अभिपुष्टि की गई है । यह न्यायालय दोनों निचले न्यायालयों द्वारा अपनाए गए ऐसे दृष्टिकोण से सहमत है । दूसरे शब्दों में, यह न्यायालय निचले न्यायालयों द्वारा अभिलिखित किए गए इस समवर्ती निष्कर्ष को कायम रखता है कि अपीलार्थी ने तारीख 29 जुलाई, 2011 की रात्रि में अपने मित्रों (अभि. सा. 11 और अभि. सा. 12 सहित) की मौजूदगी में, जो मुकेश ठाकुर के घर पर हितेश ठाकुर की प्रेरणा पर आयोजित एक शराब पार्टी करने के लिए एकत्रित हुए थे, मृतक हितेश ठाकुर पर चाकू से आक्रमण करके उसे छह क्षतियां कारित की थीं । इसके अतिरिक्त, हितेश ठाकुर की अपीलार्थी द्वारा कारित की गई क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई थी । इस प्रकार, यह एक मानव वध मृत्यु का मामला है । विशेष रूप से, अभिलेख पर के साक्ष्य से स्पष्ट रूप से यह सिद्ध होता है कि अपीलार्थी और हितेश ठाकुर के बीच अचानक लड़ाई हुई और अपीलार्थी ने आवेदन की तीव्रता में हितेश ठाकुर पर हमला किया तथा उसे गंभीर शारीरिक क्षतियां कारित कीं । लेशमात्र भी ऐसा साक्ष्य नहीं है और यहां तक कि दूर-दूर तक भी ऐसा सुझाव नहीं दिया गया है कि अपीलार्थी ने हितेश ठाकुर पर हमला उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया था । यद्यपि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषी तो पाया, तो भी यह अभिनिर्धारित नहीं किया कि अपीलार्थी द्वारा कारित की गई शारीरिक क्षतियां हितेश ठाकुर की मृत्यु कारित करने के आशय से कारित की गई थीं । उच्च न्यायालय ने अपराध की प्रकृति के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए गए निष्कर्ष को मुख्य रूप से इस आधार पर उलट दिया कि अपीलार्थी ने हितेश ठाकुर पर चाकू से बारम्बार प्रहार किए थे और हितेश ठाकुर अपनी रक्षा नहीं कर सका था क्योंकि वह निहत्था था । इस प्रकार, अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी पाया । दूसरे शब्दों में, इन अपीलों में संविवाद अपराध की प्रकृति और इस निमित्त दिए जाने वाले दंडादेश तक सीमित है । जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अभिलेख पर यह साक्ष्य है कि अपीलार्थी ने दुर्भाग्यपूर्ण रात्रि में हितेश ठाकुर पर चाकू से छह प्रहार किए थे और उनकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी और

दोनों निचले न्यायालयों द्वारा ऐसा ही अभिनिर्धारित किया गया है तथा यह न्यायालय इस निष्कर्ष से पूर्णतः सहमत है । इस प्रकार, यह एक मानव वध का मामला है । तथापि, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि अपीलार्थी द्वारा पहुंचाई गई क्षतियां हितेश ठाकुर की हत्या करने के आशय से पहुंचाई गई थीं । दूसरी ओर, साक्ष्य से स्पष्ट रूप से यह सिद्ध होता है कि अपीलार्थी ने हितेश कुमार पर हमला किसी पूर्वचिंतन के बिना किया था । संपूर्ण घटना अचानक घटी थी और आवेश की तीव्रता में अचानक झगड़ा आंरभ हुआ था, क्योंकि हितेश ठाकुर ने धूम्रपान करते समय अपीलार्थी के मुंह पर धुंआ छोड़ दिया था । इस कारण अपीलार्थी क्रोधित हो गया था । उसने उससे यह कहा कि वह उससे आयु में बड़ा है और इसलिए उसकी ओर धुंआ छोड़ना तो दूर, उसे उसकी मौजूदगी में धूम्रपान ही नहीं करना चाहिए । इसके पश्चात्, उनके बीच अचानक हाथापाई होने लगी, जिसमें अपीलार्थी ने आवेश की तीव्रता में हितेश ठाकुर पर उसके शरीर के विभिन्न भागों पर चाकू से छह प्रहार किए । अभि. सा. 11 और अभि. सा. 12 (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी) के साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि मृतक हितेश ठाकुर सहित अपीलार्थी और अन्य व्यक्ति हितेश ठाकुर की प्रेरणा पर आयोजित एक शराब पार्टी के लिए घटनास्थल पर एकत्रित हुए थे । जब घटना घटी थी तब उन्होंने शराब पी हुई थी । हितेश ठाकुर पर चाकू से हमला करने के तुरंत पश्चात् जब अपीलार्थी ने यह महसूस किया कि हितेश बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, तो उसने उसे पानी दिया और उसे अपने अन्य मित्रों के साथ अस्पताल लेकर गया । हितेश ठाकुर की क्षतियों के कारण मृत्यु होने तक वह अस्पताल में रहा । उसने हितेश के पिता को भी दूरभाष पर सूचित किया था और उसे अस्पताल बुलाया था । इसके अतिरिक्त, जब हितेश को अस्पताल लाया गया था, तब डाक्टरों ने उसका तुरंत उपचार नहीं किया अपितु उसके पिता को बुलाने की बात पर अड़े रहे । यह निष्कर्ष अभि. सा. 11 और अभि. सा. 12 के साक्ष्य से निकाला जा सकता है, जो कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी थे और हितेश ठाकुर की अंत्येष्टि होने तक सारे समय वहां मौजूद भी थे । यथा प्रकटित घटनाओं पर विचार करने के पश्चात् कोई संदेह नहीं रह जाता है कि अपीलार्थी का हितेश ठाकुर की हत्या करने का कोई आशय नहीं था । घटना किसी पूर्वचिंतन के बिना हितेश ठाकुर और अपीलार्थी के बीच अचानक हुई लड़ाई में घटित हुई थी और अपीलार्थी ने आवेश की तीव्रता में हितेश ठाकुर पर चाकू से छह प्रहार किए थे । इसके विपरीत, अपनी गलती महसूस करने के पश्चात् उसने तुरंत हितेश ठाकुर को पानी दिया था और उसे अस्पताल भी लेकर गया था

तथा उसकी अंत्येष्टि होने तक वहीं रुका रहा था । मृतक हितेश ठाकुर के पिता, अभि. सा. 2 ने भी इस स्थिति की संपुष्टि की है कि अपीलार्थी ने यह सूचित करने के लिए उससे संपर्क किया था कि हितेश को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया है । मामले पर समग्र रूप से विचार करने के पश्चात्, इस मामले के तथ्यों में भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 का अवलंब लेना अपेक्षित है । चूंकि, यह हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध का मामला है क्योंकि घटना हितेश ठाकुर की प्रेरणा पर आयोजित शराब पार्टी में एकत्रित हुए मित्रों के बीच अचानक हुई लड़ाई में घटित हुई थी । कोई पूर्वचिंतन नहीं था और अपीलार्थी द्वारा किया गया यह कृत्य आवेश की तीव्रता में, अपीलार्थी द्वारा कोई असम्यक् फायदा उठाए बिना या क्रूर रीति में कार्य किए बिना किया गया था । यह एक सुस्थिर स्थिति है कि अपीलार्थी द्वारा कारित किए गए घावों की संख्या स्वतः एक निश्चायक पहलू नहीं हो सकता है । उच्च न्यायालय ने उक्त तथ्य से प्रभावित होकर स्पष्ट गलती की है । सुसंगत बात यह है कि घटना अचानक घटी थी और पूर्वचिंतन नहीं था तथा अपराधी ने आवेश की तीव्रता में कार्य किया था । इस बाबत अपीलार्थी के पक्षकथन का साक्ष्य से समर्थन होता है । यह तथ्य कि अपीलार्थी ने चाकू जैसे आयुध का प्रयोग किया था, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 को लागू करने के लिए एक निश्चायक पहलू नहीं है । अपीलार्थी को न तो अपराध कारित करने में चाकू का प्रयोग करने से और न ही अपीलार्थी द्वारा पहुंचाई गई बहु क्षतियों के तथ्य से अपवाद 4 के फायदे से इनकार किया जाएगा । विचारण न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग 2 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए केवल पांच वर्ष के कठोर कारावास और दस हजार रूपए के जुर्माने तथा जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर एक वर्ष की अवधि का अतिरिक्त कठोर कारावास भोगने का दंडादेश दिया था । इसके लिए विचारण द्वारा कोई विशेष कारण अभिलिखित नहीं किया गया है । अपराध की प्रकृति और उस तुच्छ कारण पर विचार करते हुए जिससे अपीलार्थी क्रोधित हुआ और हितेश ठाकुर पर हमला किया और वह भी चाकू से तथा बहु प्रहार किए, हल्का दंड देना अपेक्षित नहीं है । तथापि, यह न्यायालय प्रत्यर्थियों के इस तर्क को स्वीकार करता है कि वर्तमान मामले की तथ्यात्मक स्थिति में दंडादेश की अवधि जुर्माने सहित दस वर्ष के कारावास से कम नहीं होनी चाहिए । इससे न्याय की पूर्ति हो जाएगी । (पैरा 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 15)

अवलंबित निर्णय

पैरा

[2017] (2017) 5 एस. सी. सी. 796 :
सुरैन सिंह बनाम पंजाब राज्य । 13

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2016 की दांडिक अपील सं. 522-523.

2015 की दांडिक अपील सं. 75 और 227 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला के तारीख 1 अप्रैल, 2016 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध संविधान के अनुच्छेद 134 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री आदित्य धवन, (सुश्री) किरन धवन और चंद्र शेखर आशरी

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री डी. के. ठाकुर, अपर महाधिवक्ता, शरीक अहमद, (सुश्री) तयबा खान और अजय मरवाह

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर ने दिया ।

न्या. खानविलकर – ये अपीलें 2015 की दांडिक अपील सं. 75 और 227 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला द्वारा तारीख 1 अप्रैल, 2016 को सेशन न्यायाधीश (वन), शिमला द्वारा 2012 के सेशन विचारण सं. 39-एस/7 में अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध और उसे जुर्माने सहित आजीवन कारावास का दंडादेश देते हुए तारीख 31 दिसंबर, 2014 को पारित उसकी दोषसिद्धि और दंडादेश के आदेश को उपांतरित करते हुए पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई हैं ।

2. संक्षेप में, सेशन न्यायाधीश (वन), शिमला द्वारा अपीलार्थी का तीन अन्य व्यक्तियों के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 और 201 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए विचारण किया गया था । अभियोजन का पक्षकथन यह है कि पुलिस थाना, पश्चिम शिमला में तारीख 28 जुलाई, 2011 को लगभग 4.45 बजे पूर्वाह्न में एक टेलीफोन संदेश प्राप्त हुआ जिसमें यह सूचना दी गई कि टन्नल 103 के निकट एक झगड़ा हुआ था, जहां से हन्नी नामक व्यक्ति को इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय अस्पताल, शिमला में गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त

हालत में लाया गया है । थाना अधिकारी, शकुंतला शर्मा को अस्पताल पहुंचने पर यह सूचित किया गया कि क्षतिग्रस्त की मृत्यु हो गई है । इसके पश्चात् उसने राजिन्द्र सिंह का दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन कथन अभिलिखित किया । राजिन्द्र सिंह ने अपने कथन में यह प्रकट किया कि उसके दो बालक हैं । उसकी पुत्री पूजा कम्प्यूटर का कोर्स कर रही है और उसका छोटा पुत्र हितेश ठाकुर, आयु 22 वर्ष भी लाखर बाजार से कम्प्यूटर कोर्स कर रहा था । उसने यह कथन किया कि हितेश तारीख 27 जुलाई, 2011 को भोजन करने के पश्चात् घर से अपनी मोटरसाइकिल पर, जिसका पंजीकरण सं. एचपी 63 3235 है, कम्प्यूटर कोर्स करने के लिए गया था । उसने अपनी बहिन पूजा को उसके मोबाइल पर यह सूचित किया था कि वह अपने मित्र अखिलेश के साथ जा रहा है और रात्रि में वापस नहीं आएगा । उसने अपनी बहिन से अनुरोध किया था कि माता को इस बारे में सूचित कर देना । तारीख 28 जुलाई, 2011 को लगभग 3.00 बजे अपराह्न में अतुल ठाकुर (इस अपील में अपीलार्थी) ने दूरभाष पर उसे सूचित किया कि उसके पुत्र हितेश को इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय अस्पताल, शिमला में लाया गया है क्योंकि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उसे अस्पताल आने के लिए कहा । वह दूरभाष पर प्राप्त सूचना के पश्चात् अस्पताल गया और यह पाया कि उसका पुत्र घायल अवस्था में मृत पड़ा हुआ था । उस समय अपीलार्थी भी वहां पर मौजूद था ।

3. कथन अभिलिखित करने के पश्चात् अन्वेषण का कार्य अग्रसर किया गया और चार अभियुक्तों को कथित अपराध के विचारण के लिए भेजा गया, जो मुकेश ठाकुर (अभियुक्त सं. 2) के मकान पर गए थे जहां तारीख 27 जुलाई 2011 और 28 जुलाई, 2011 की रात्रि के दौरान एक शराब पार्टी की व्यवस्था की गई थी । विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का विश्लेषण करने के पश्चात् तारीख 31 दिसंबर, 2014 के निर्णय द्वारा अन्य तीन अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया किंतु अपीलार्थी को धारा 304, भाग 2 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी पाया और उसे पांच वर्ष के कठोर कारावास और 10,000/- रूपए के जुर्माने का संदाय करने तथा जुर्माने का संदाय करने में व्यतिक्रम करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगने का दंडादेश दिया ।

4. अपीलार्थी ने उक्त विनिश्चय के विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष अपील (2015 की दांडिक अपील सं. 75) फाइल की । शिकायतकर्ता ने भी तीन अभियुक्तों की दोषमुक्ति के विरुद्ध तथा अपीलार्थी के दंडादेश में वृद्धि करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष अपील (2015 की दांडिक

अपील सं. 227) फाइल की । दोनों अपीलों का तारीख 1 अप्रैल, 2016 के सामान्य निर्णय द्वारा निपटारा किया गया । उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की अपराध में अंतर्ग्रस्तता से संबंधित तथ्य के निष्कर्ष को कायम रखा । तथापि, उच्च न्यायालय ने अपराध की प्रकृति के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष को उलट दिया । उसने यह निष्कर्ष निकाला कि मामले के संपूर्ण परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी हितेश ठाकुर की हत्या करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी है, न कि, जैसा कि विचारण न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, धारा 304 भाग 2 के अधीन । साथ ही साथ, उच्च न्यायालय ने उन अन्य अभियुक्तों के पक्ष में किए गए दोषमुक्ति के आदेश की अभिपुष्टि की, जिनका अपीलार्थी के साथ विचारण किया गया था । वर्तमान अपील में, उच्च न्यायालय के पूर्वोल्लिखित विनिश्चय को केवल मूल अभियुक्त सं. 1 द्वारा चुनौती दी गई है ।

5. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री आदित्य धवन ने इस न्यायालय को इस बात के लिए मनाने का जोरदार प्रयास किया कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य में स्पष्ट विरोधाभास है और इसका फायदा अपीलार्थी को मिलना चाहिए । विद्वान् काउंसेल के अनुसार, अपीलार्थी दोषमुक्त किए जाने योग्य है, जैसा कि सह-अभियुक्तों के मामले में किया गया है, क्योंकि अपराध की उत्पत्ति संदेहास्पद है । इसके अतिरिक्त, अपराध कारित करने में अपीलार्थी की अंतर्ग्रस्तता की बात युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं की गई है । विद्वान् काउंसेल ने हमारा ध्यान अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य के साथ-साथ प्रतिरक्षा साक्षी (प्रति. सा. 1) के साक्ष्य की ओर भी दिलाया, जिसकी अपीलार्थी की प्रेरणा पर परीक्षा की गई थी । उन्होंने यह दलील दी कि किसी भी दशा में, अभियोजन पक्ष द्वारा सिद्ध की गई तथ्यात्मक स्थिति, यदि उसे वैसी ही मान लिया जाए, के आधार पर हितेश ठाकुर की हत्या का अपराध कारित करने का निष्कर्ष नहीं निकलता है । अधिक से अधिक, यह हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध का मामला है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अधीन अपवाद के अंतर्गत आता है और इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के द्वितीय भाग के अधीन दंडनीय है । विचारण न्यायालय ने इस अपराध को न्यायसंगत रूप से उद्धृत किया था और अपीलार्थी को पांच वर्ष का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया था, जो अपीलार्थी ने पहले ही भुगत लिया है । अतः, विद्वान् काउंसेल ने यह निवेदन किया कि यह अपील मंजूर की जाए और सेशन न्यायालय के आदेश को पुनः प्रवर्तित

करते हुए तथा उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और आदेश को अपास्त करते हुए अपीलार्थी को रिहा किया जाए । उन्होंने यह निवेदन किया कि अपीलार्थी ने तारीख 24 नवम्बर, 2017 तक पहले ही 7 वर्ष 3 माह 24 दिन की अवधि का कारावास भुगत लिया है जिसमें एक वर्ष 2 माह और 6 दिन की परिहार की अवधि भी सम्मिलित है ।

6. तथापि, प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वान् काउंसेल ने इस अपीलों का विरोध किया । प्रत्यर्थियों के अनुसार, दोनों निचले न्यायालयों द्वारा अभिलिखित किया गया दोषिता का निष्कर्ष अभिलेख पर के साक्ष्य द्वारा समर्थित है, जिससे अपीलार्थी की अपराध कारित करने में अंतर्ग्रस्तता को संदेह के परे सिद्ध किया गया है । विचारण न्यायालय द्वारा जो दोषिता का निष्कर्ष अभिलिखित किया गया और जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा अभिपुष्टि की गई है, उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है । इसी प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय की राय को उलटते हुए अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध करने के लिए अभिलिखित किया गया निष्कर्ष भी अनाक्षेपणीय है । उच्च न्यायालय ने उचित ही यह उल्लेख किया है कि यह हितेश ठाकुर की हत्या का मामला है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय है न कि धारा 304 भाग 2 के अधीन और इस मामले में अपीलार्थी को आजीवन कारावास का दंडादेश भुगतना होगा । प्रत्यर्थियों ने यह निवेदन किया कि ये अपीलें गुणागुण रहित हैं और खारिज की जानी चाहिए ।

7. हमने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए मौखिक साक्ष्य, विशिष्ट रूप से अभि. सा. 11 और अभि. सा. 12 के साक्ष्य, पर सावधानीपूर्वक विचार किया है जो उस घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं, जिसके दौरान अपीलार्थी द्वारा चाकू से हितेश ठाकुर पर हमला किया गया था और उसे गंभीर शारीरिक क्षतियां पहुंची थीं तथा अन्ततः उनके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी । उक्त मौखिक साक्ष्य के अतिरिक्त, अन्य परिस्थितियां भी अपराध के कारित करने में अपीलार्थी की सहापराधिता की ओर इंगित करती हैं, जैसे कि उसके बताने पर चाकू की बरामदगी होना और मृतक को पहुंची क्षतियों की प्रकृति अपीलार्थी द्वारा उसी चाकू से किए गए हमला के कारण पहुंची माना जा सकता है । हमारा यह निष्कर्ष है कि विचारण न्यायालय ने अपराध कारित करने में अपीलार्थी की सहापराधिता के बारे में निष्कर्ष अभिलिखित करने के लिए साक्ष्य का न्यायसंगत रूप से विश्लेषण किया है । उच्च न्यायालय द्वारा सुसंगत साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन

करने के पश्चात् इसकी अभिपुष्टि की गई है । हम दोनों निचले न्यायालयों द्वारा अपनाए गए ऐसे दृष्टिकोण से सहमत हैं । दूसरे शब्दों में, हम निचले न्यायालयों द्वारा अभिलिखित किए गए इस समवर्ती निष्कर्ष को कायम रखते हैं कि अपीलार्थी ने तारीख 29 जुलाई, 2011 की रात्रि में अपने मित्रों (अभि. सा. 11 और अभि. सा. 12 सहित) की मौजूदगी में, जो मुकेश ठाकुर के घर पर हितेश ठाकुर के कहने पर आयोजित एक शराब पार्टी करने के लिए एकत्रित हुए थे, मृतक हितेश ठाकुर पर चाकू से आक्रमण करके उसे छह क्षतियां कारित की थीं । इसके अतिरिक्त, हितेश ठाकुर की अपीलार्थी द्वारा कारित की गई क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई थी । इस प्रकार, यह एक मानव वध मृत्यु का मामला है ।

8. विशेष रूप से, अभिलेख पर के साक्ष्य से स्पष्ट रूप से यह सिद्ध होता है कि अपीलार्थी और हितेश ठाकुर के बीच अचानक लड़ाई हुई और अपीलार्थी ने आवेदन की तीव्रता में हितेश ठाकुर पर हमला किया तथा उसे गंभीर शारीरिक क्षतियां कारित कीं । लेशमात्र भी ऐसा साक्ष्य नहीं है और यहां तक कि दूर-दूर तक भी ऐसा सुझाव नहीं दिया गया है कि अपीलार्थी ने हितेश ठाकुर पर हमला उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया था । यद्यपि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषी तो पाया, तो भी यह अभिनिर्धारित नहीं किया कि अपीलार्थी द्वारा कारित की गई शारीरिक क्षतियां हितेश ठाकुर की मृत्यु कारित करने के आशय से कारित की गई थीं । उच्च न्यायालय ने अपराध की प्रकृति के संबंध में विचारण द्वारा अभिलिखित किए गए निष्कर्ष को मुख्य रूप से इस आधार पर उलट दिया कि अपीलार्थी ने हितेश ठाकुर पर चाकू से बारम्बार प्रहार किए थे और हितेश ठाकुर अपनी रक्षा नहीं कर सका था क्योंकि वह निहत्था था । इस प्रकार, अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी पाया ।

9. दूसरे शब्दों में, इन अपीलों में संविवाद अपराध की प्रकृति और इस निमित्त दिए जाने वाले दंडादेश तक सीमित है । जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अभिलेख पर यह साक्ष्य है कि अपीलार्थी ने दुर्भाग्यपूर्ण रात्रि में हितेश ठाकुर पर चाकू से छह प्रहार किए थे और उनकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी और दोनों निचले न्यायालयों द्वारा ऐसा ही अभिनिर्धारित किया गया है तथा हम इस निष्कर्ष से पूर्णतः सहमत हैं । इस प्रकार, यह एक मानव वध का मामला है । तथापि, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि अपीलार्थी द्वारा पहुंचाई गई क्षतियां हितेश ठाकुर की हत्या करने के आशय से पहुंचाई गई थीं । दूसरी ओर, साक्ष्य से स्पष्ट रूप से यह सिद्ध

होता है कि अपीलार्थी ने हितेश कुमार पर हमला किसी पूर्वचिंतन के बिना किया था । संपूर्ण घटना अचानक घटी थी और आवेश की तीव्रता में अचानक झगड़ा आंरभ हुआ था, क्योंकि हितेश ठाकुर ने धूम्रपान करते समय अपीलार्थी के मुंह पर धुंआ छोड़ दिया था । इस कारण अपीलार्थी क्रोधित हो गया था । उसने उससे यह कहा कि वह उससे आयु में बड़ा है और इसलिए उसकी ओर धुंआ छोड़ना तो दूर, उसे उसकी मौजूदगी में धूम्रपान ही नहीं करना चाहिए । इसके पश्चात्, उनके बीच अचानक हाथापाई होने लगी, जिसमें अपीलार्थी ने आवेश की तीव्रता में हितेश ठाकुर पर उसके शरीर के विभिन्न भागों पर चाकू से छह प्रहार किए ।

10. अभि. सा. 11 और अभि. सा. 12 (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी) के साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि मृतक हितेश ठाकुर सहित अपीलार्थी और अन्य व्यक्ति हितेश ठाकुर की प्रेरणा पर आयोजित एक शराब पार्टी के लिए घटनास्थल पर एकत्रित हुए थे । जब घटना घटी थी तब उन्होंने शराब पी हुई थी । हितेश ठाकुर पर चाकू से हमला करने के तुरंत पश्चात् जब अपीलार्थी ने यह महसूस किया कि हितेश बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, तो उसने उसे पानी दिया और उसे अपने अन्य मित्रों के साथ अस्पताल लेकर गया । हितेश ठाकुर की क्षतियों के कारण मृत्यु होने तक वह अस्पताल में रहा । उसने हितेश के पिता को भी दूरभाष पर सूचित किया था और उसे अस्पताल बुलाया था । इसके अतिरिक्त, जब हितेश को अस्पताल लाया गया था, तब डाक्टरों ने उसका तुरंत उपचार नहीं किया अपितु उसके पिता को बुलाने की बात पर अड़े रहे । यह निष्कर्ष अभि. सा. 11 और अभि. सा. 12 के साक्ष्य से निकाला जा सकता है, जो कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी थे और हितेश ठाकुर की अंत्येष्टि होने तक सारे समय वहां मौजूद भी थे ।

11. यथा प्रकटित घटनाओं पर विचार करने के पश्चात् कोई संदेह नहीं रह जाता है कि अपीलार्थी का हितेश ठाकुर की हत्या करने का कोई आशय नहीं था । घटना किसी पूर्वचिंतन के बिना हितेश ठाकुर और अपीलार्थी के बीच अचानक हुई लड़ाई में घटित हुई थी और अपीलार्थी ने आवेश की तीव्रता में हितेश ठाकुर पर चाकू से छह प्रहार किए थे । इसके विपरीत, अपनी गलती महसूस करने के पश्चात् उसने तुरंत हितेश ठाकुर को पानी दिया था और उसे अस्पताल भी लेकर गया था तथा उसकी अंत्येष्टि होने तक वहीं रुका रहा था । मृतक हितेश ठाकुर के पिता, अभि. सा. 2 ने भी इस स्थिति की संपुष्टि की है कि अपीलार्थी ने यह सूचित करने के लिए उससे संपर्क किया था कि हितेश को गंभीर हालत में

अस्पताल लाया गया है ।

12. मामले पर समग्र रूप से विचार करने के पश्चात्, इस मामले के तथ्यों में भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 का अवलंब लेना अपेक्षित है । चूंकि, यह हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध का मामला है क्योंकि घटना हितेश ठाकुर की प्रेरणा पर आयोजित शराब पार्टी में एकत्रित हुए मित्रों के बीच अचानक हुई लड़ाई में घटित हुई थी । कोई पूर्वचिंतन नहीं था और अपीलार्थी द्वारा किया गया यह कृत्य आवेश की तीव्रता में, अपीलार्थी द्वारा कोई असम्यक् फायदा उठाए बिना या क्रूर रीति में कार्य किए बिना किया गया था । यह एक सुस्थिर स्थिति है कि अपीलार्थी द्वारा कारित किए गए घावों की संख्या स्वतः एक निश्चायक पहलू नहीं हो सकता है । उच्च न्यायालय ने उक्त तथ्य से प्रभावित होकर स्पष्ट गलती की है । सुसंगत बात यह है कि घटना अचानक घटी थी और पूर्वचिंतन नहीं था तथा अपराधी ने आवेश की तीव्रता में कार्य किया था । इस बाबत अपीलार्थी के पक्षकथन का साक्ष्य से समर्थन होता है । यह तथ्य कि अपीलार्थी ने चाकू जैसे आयुध का प्रयोग किया था, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 को लागू करने के लिए एक निश्चायक पहलू नहीं है । अपीलार्थी को न तो अपराध कारित करने में चाकू का प्रयोग करने से और न ही अपीलार्थी द्वारा पहुंचाई गई बहु क्षतियों के तथ्य से अपवाद 4 के फायदे से इनकार किया जाएगा ।

13. **सुरैन सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[1] वाले मामले में कुछ इसी कारण की स्थिति पर विचार करते हुए इस न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 के तात्पर्य के बारे में स्थिर विधिक स्थिति का पुनः उल्लेख किया है । उस मामले में भी, अभियुक्त ने कृपाण से मृतक पर बारम्बार हमला किया था और क्षतियां कारित की थीं जिनके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई थी । न्यायालय ने विधिक स्थिति का पुनः उल्लेख करते हुए अपराध को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के बजाय धारा 304 भाग 2 के अधीन परिवर्तित कर दिया था । इसी विधिक सिद्धांत का अनुसरण करते हुए और यथा प्रकटित तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी को धारा 304 भाग 2 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण अनाक्षेपणीय है । विचारण न्यायालय ने जो मत व्यक्त किया है, वह इस प्रकार है :–

---

[1] (2017) 5 एस. सी. सी. 796.

"60. अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि मृतक हितेश और अभियुक्त के लंबे समय से सौहार्दपूर्ण संबंध थे और एक-दूसरे को जानते थे तथा अच्छे मित्र थे । मृतक द्वारा अभियुक्त मुकेश के कमरे में एक पार्टी आयोजित की गई थी और स्वयं मृतक ने सभी अभियुक्तों को पार्टी में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया था । इस पार्टी में उनके द्वारा बहुत सारी शराब पी गई थी और मृतक हितेश और अभियुक्त अतुल ठाकुर के बीच अचानक झगड़ा हुआ, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त अतुल ने हितेश को चाकू घोंप दिया और उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई.....।

61. इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभियुक्त अतुल ठाकुर द्वारा पहुंचाई गई चाकू घोंपने की क्षति के परिणामस्वरूप हितेश की तारीख 27/28 जुलाई, 2011 की मध्यवर्ती रात्रि में इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, शिमला में मानव वध मृत्यु हुई थी । विचार करने के लिए यह प्रश्न उद्भूत होता है कि अभियुक्त का यह कार्य, जिससे हितेश की मृत्यु कारित हुई थी, क्या हत्या की कोटि में आता है या हत्या की कोटि में न आने वाले मानव वध के अंतर्गत आता है । यह एक स्वीकृत तथ्य है कि मृतक और इस अभियुक्त के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि उनके सौहार्दपूर्ण संबंध थे । इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मृतक और अभियुक्त अतुल के बीच हाथापाई हुई थी क्योंकि अभि. सा. 11 हिमांशु, अभि. सा. 12 मनोज बंसल और अभि. सा. 1 आशुतोष के साक्ष्य में यह बात आई है कि उनके बीच हाथापाई हुई थी । इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय को अभियोजन साक्ष्य की यह परीक्षा करनी होगी कि क्या अभियुक्त अतुल ने असम्यक् फायदा उठाया था या क्रूर अथवा शत्रुतापूर्ण रीति में कार्य किया था, जिससे कि वह धारा 300 के अपवाद 4 के फायदे से वंचित हो सके । वास्तव में, अभियोजन पक्ष अभियुक्त द्वारा मृतक की हत्या करने के किसी हेतु को साबित नहीं कर सका है । अभियुक्त मुकेश ठाकुर के कमरे पर शराब पार्टी का आयोजन आपसी रजामंदी से हुआ था । इन परिस्थितियों में, यह अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि प्रश्नगत घटना अचानक हुई लड़ाई में आवेश की तीव्रता में घटी थी । अगला प्रश्न जो विचार के लिए उद्भूत होता है यह है कि क्या अभियुक्त अतुल ने उक्त लड़ाई का असम्यक् फायदा उठाया था या क्रूर अथवा शत्रुतापूर्ण रीति में

कार्य किया था या नहीं । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मृतक और अभियुक्त दोनों ने पर्याप्त मात्रा में शराब पी हुई थी और यह बात अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से सिद्ध होती है, इसलिए इस बात से पूर्णतया इनकार नहीं किया जा सकता है कि चाकू घोंप कर पहुंचाई गई क्षतियां अभियुक्त अतुल द्वारा असम्यक् फायदा लेने के आशय से नहीं पहुंचाई गई थीं । यह अधिसंभाव्य है कि अभियुक्त ने शराब के नशे की हालत में उनके बीच हुई हाथापाई के कारण क्षतियां पहुंचाई थीं । इसके अतिरिक्त, डाक्टर संदीप कौशिक द्वारा चिकित्सा विधि प्रमाणपत्र, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 18/ए, में उल्लिखित क्षतियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए यह स्वीकार करना मुश्किल है कि अभियुक्त अतुल ठाकुर का आशय हितेश की मृत्यु कारित करने का था या क्षतियां इतनी खतरनाक थीं कि उनके कारण सभी अधिसंभाव्यताओं में मृत्यु कारित हो जाएगी । फिर भी, क्षतियां बहुत ही गंभीर थीं, इसलिए यह कहा जा सकता है कि अभियुक्त को अवश्य इस बात का ज्ञान था कि यदि किसी व्यक्ति के वक्ष या उदर पर चाकू से क्षति कारित की जाती है तब इस कृत्य से विपदग्रस्त की मृत्यु कारित होना संभाव्य है ।

62. अभिलेख पर की साम्रगी पर विचार करने के पश्चात् इस न्यायालय की यह राय है कि अभियुक्त अतुल ठाकुर को केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग 2 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी पाया जा सकता है ।"

14. जैसा कि ऊपर कहा गया है, उच्च न्यायालय ने अपराध की प्रकृति के प्रश्न पर विचारण न्यायालय के इस निष्कर्ष को मुख्य रूप से यह मत व्यक्त करते हुए उलट दिया कि अपीलार्थी ने चाकू जैसे आयुध से बारम्बार प्रहार करके हितेश ठाकुर को छह गंभीर क्षतियां कारित की थीं जिनके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी । हमारी यह राय है कि न तो अपीलार्थी द्वारा हमला करने के दौरान चाकू का प्रयोग करने का तथ्य और न ही अपीलार्थी द्वारा किए गए बहु प्रहार (छह) अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 के अधीन उपलब्ध फायदे से इनकार करने का एकमात्र आधार हो सकता है । यह न्यायालय सिद्ध तथ्यों के आधार पर संपूर्ण मामले पर विचार करने के लिए आबद्ध है । **सुरैन सिंह** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस सिद्धांत का पुनः उल्लेख किया गया है ।

15. अगला प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थी का दंडादेश की मात्रा पर

विचारण न्यायालय के विनिश्चय को प्रत्यावर्तित और बहाल करने के लिए दिया गया अनुनयकारी तर्क सही है या नहीं । विचारण न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग 2 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए केवल पांच वर्ष के कठोर कारावास और दस हजार रूपए के जुर्माने तथा जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर एक वर्ष की अवधि का अतिरिक्त कठोर कारावास भोगने का दंडादेश दिया था । इसके लिए विचारण द्वारा कोई विशेष कारण अभिलिखित नहीं किया गया है । अपराध की प्रकृति और उस तुच्छ कारण पर विचार करते हुए जिससे अपीलार्थी क्रोधित हुआ और हितेश ठाकुर पर हमला किया और वह भी चाकू से तथा बहु प्रहार किए, हल्का दंड देना अपेक्षित नहीं है । तथापि, हम प्रत्यर्थियों के तर्क को स्वीकार करते हैं कि वर्तमान मामले की तथ्यात्मक स्थिति में दंडादेश की अवधि जुर्माने सहित दस वर्ष के कारावास से कम नहीं होनी चाहिए । इससे न्याय की पूर्ति हो जाएगी ।

16. तद्नुसार, हम मूल अभियुक्त सं. 1 अतुल ठाकुर द्वारा फाइल 2015 की दांडिक अपील सं. 75 और अपील सं. 227 को भागतः मंजूर करते हैं । हम अपराध की प्रकृति की बाबत अपीलार्थी के विरुद्ध उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को उपांतरित करते हैं और इसकी बजाय इस बारे में विचारण न्यायालय के आदेश को प्रत्यावर्तित करते हैं । अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग 2 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और 10,000/- रुपए (दस हजार रुपए) के जुर्माने सहित दस वर्ष की अवधि का कठोर कारावास भुगतने और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतने का दंडादेश दिया जाता है । यह उल्लेख करना अनावश्यक है कि अपीलार्थी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के अधीन मुजरा कराने का हकदार होगा ।

17. इन अपीलों का पूर्वोल्लिखित निबंधनों के अनुसार निपटारा किया जाता है ।

अपीलों का निपटारा किया गया ।

जस.